

T.S. 270/19

29-01-20 वारी की ओर से डाकिली सी गई। वारी द्वारा
शेष न्याय भुल्य मोठ 5130/- रु. दारिल किया गया।
वाद पुकारा गया। वारी के विद्वान अधिवक्ता श्री
सुधीर कुमार श्रीवास्तव न्यायालय में उपस्थित हुए।
वारी के अधिवक्ता का ग़ुज़ के बिन्दु पर
सुना एवं अधिलेख का अवलोकन किया। अधिलेख
में विदित होता है कि वारी द्वारा सडमोलारम न्याय
भुल्य मोठ 5400/- रु. दारिल किया गया है।
जो सरिलेख परिवर्तनानुसार यथेष्ट है तथा
वारी द्वारा वाद अधिवक्ता के रूप में आगमन
दारिल किया गया है।

अतः नम्बरी वाद सुनवाई हेतु
गएँ किया जाता है।

वारी परिवारी गण के उपस्थित
हेतु गलवाना नौरीश मोराना राजिव कभर पावरी
पत्र के मुध दारिल का तुरन्तवात न्यायालय
दिनांक 18-3-20 निर्दिष्ट का परिवारी गण पर
नौरीश निर्गत है। वाद निष्पन्न हेतु दिगीय
अब न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित
किया जाता है।

लैलाहित
ll
सबजण I